POLITICAL SCIENCE Dep.
BA:-I (Hons.), Paper-I

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur,
Samastipur

संप्रभुता (Sovereignty)

संप्रभुता अर्थात् Sovereignty लैटिन शब्द 'Super' और 'Anus' से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 'सर्वोच्च शक्ति'। सम्प्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या 'जीन बोदां' (Jean Bodin) ने की। उनके अनुसार "सम्प्रभुता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता।"

ग्रोशियस ने कहा कि "सम्प्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित न हों और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सकता हो।"

विलोबी के अनुसार "सम्प्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है।"

इसप्रकार यह देखा जाता है कि सम्प्रभुता का तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति से है। सम्प्रभुता के दो पक्ष होते हैं — ① आंतरिक सम्प्रभुता एवं ② बाह्य सम्प्रभुता। आंतरिक सम्प्रभुता का तात्पर्य है राज्य अपने निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी समुदायों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है। बाह्य सम्प्रभुता से तात्पर्य है राज्य किसी भी बाह्य सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है।

Scanned with CamScanner